प्रेषक,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0,
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक 689 /चारा/ ।।एफ (417)/2020-21 दिनांक 22.09.2020

विषयः- **रबी वर्ष-2020 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उपयोजना "अतिरिक्त चारा विकास कार्यक्रम" के अन्तर्गत आवंटित धनराशि के उपयोग हेतु दिशा निर्देश।**

महोदय,

कृपया वित्त नियन्त्रक, मुख्यालय के आवंटन पत्र संख्या-901/बजट/29(5)/अनु0-11/01/2020-21 दिनांक-17.09.2020 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अनु0 सं0-11 के अधीन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना द्वारा संचालित **"अतिरिक्त चारा विकास कार्यक्रम"** (Additional Fodder Development Programme-AFDP) के अन्तर्गत धनराशि का आवंटन किया गया है। उक्त आवंटन पत्र में दिये गये निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवंटित धनराशि का उपयोग वर्तमान रबी चारा फसल हेतु निम्न दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत किया जाएः-

1- योजना के सफल संचालन हेतु कार्यालय पत्र सं0-677/चारा/।।एफ (417)/2020-21 दिनांक 03.09.2020 द्वारा लाभार्थियों के चयन के सम्बन्ध में निर्गत विस्तृत दिशा-निर्देशो के अनसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

2- जनपदवार चारा उत्पादन हेतु निर्धारित क्षेत्रफल, बीज/उर्वरक की मात्रा एवं लाभार्थियों की संख्या **परिशिष्ट-एक** में दर्शायी गयी है।

3- **परिशिष्ट-एक** में जनपदवार लाभार्थियों की संख्या प्रति लाभार्थी 0.1 हेक्टेयर के आधार पर दर्शायी गई है। अतः यदि जनपद में ऐसे भी लाभार्थियों का चयन किया गया हो, जो 0.1 हे0 से 0.5 हे0 तक चारा उत्पादन करने में सक्षम हो तो जनपद में लाभार्थियों की संख्या **परिशिष्ट-एक** में दर्शाये गये लाभार्थियों की संख्या से कम हो जायेगी, लेकिन जनपद में चारा उत्पादन हेतु आच्छादित होने वाले क्षेत्रफल में कोई कमी नही होगी अर्थात् जनपद में चारा उत्पादन हेतु **परिशिष्ट-एक** में दर्शाया गया क्षेत्रफल यथावत् रहेगा।

4- **43-सामग्री एवं सम्पूर्ति** मद में आवंटित धनराशि का उपयोग जई प्रमाणित चारा बीज एवं उर्वरकों के क्रय पर किया जायेगा। जई प्रमाणित चारा बीज की आपूर्ति विभागीय राजकीय पशुधन प्रक्षेत्रों से की जायेगी तथा **उर्वरकों (यूरिया एवं डी0ए0पी0)** को **कृभको/इफको** से क्रय करके पशुपालकों को जई चारा बीज के साथ निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा। प्रति लाभार्थी को 0.1 हे0 क्षेत्रफल में बुवाई हेतु 10 किग्रा0 प्रमाणित जई चारा बीज, 07 किग्रा0 डी0ए0पी0 एवं 13.5 किग्रा0 यूरिया उपलब्ध कराया जायेगा। इसी प्रकार 0.1 हे0 से अधिक 0.5 हे0 क्षेत्रफल तक बुवाई हेतु उक्त इकाई मानक के गुणक में चारा बीज एवं उर्वरक उपलब्ध कराया जायेगा। डी0ए0पी0 की सम्पूर्ण एवं यूरिया की आधी मात्रा बुवाई के समय बेसल ड्रेसिंग के रूप में तथा यूरिया की शेष आधी मात्रा खड़ी चारा फसल में टॉप ड्रेसिंग के रूप में दी जायेगी। चारा उत्पादन हेतु उक्त निवेशों के अतिरिक्त खेत की तैयारी, बुवाई, सिंचाई एवं कटाई आदि पर होने वाला व्यय स्वयं लाभार्थियों द्वारा वहन किया जायेगा।

5- योजनान्तर्गत प्रमाणित जई चारा बीज का आवंटन विभागीय राजकीय पशुधन प्रक्षेत्रों से किया जायेगा। आपूर्ति किये जाने वाले चारा बीज के बीजक का भुगतान सम्बन्धित प्रक्षेत्र प्रबन्धक/प्रक्षेत्र अधीक्षक को चालान के माध्यम से तत्काल किया जाए। चालान के माध्यम से भुगतान की दशा में चालान पर **"आर0के0वी0वाई0 के अन्तर्गत भुगतान"** अवश्य अंकित किया जाए तथा चालान की मूल प्रति सम्बन्धित प्रक्षेत्र प्रबन्धक/प्रक्षेत्र अधीक्षक को उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति चारा अनुभाग के ईमेल-**fdoup522@gmail.com** पर भी उपलब्ध कराना सुनि,चित करें।

6- योजनान्तर्गत प्रदर्शन स्थल पर साधारण कार्ड-बोर्ड पर लाभार्थी का पूर्ण विवरग अंकित कर लाभार्थी के साथ चारा फसल में प्रदर्शित करते हुए फोटोग्राफी भी करायी जाय। फोटोग्राफी कराने के बाद उसकी एक प्रति

पशुपालन निदेशालय के चारा अनुभाग को उपलब्ध करायी जाए। **42–अन्य व्यय** में आवंटित धनराशि से उक्त व्यय किया जायेगा।

7– मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा योजना के सम्बन्ध में जिलाधिकारी को अवगत कराते हुए **कृभको/इफको** से उर्वरक क्रय करने हेतु जनपद के उप कृषि निदेशक(प्रसार)/सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक (सहकारिता) से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। उर्वरकों के क्रय हेतु सम्बन्धित संस्था/उपक्रम द्वारा आवश्यकता पडने पर अथवा मांगे जाने पर चयनित लाभार्थियों की सूची मय आधार पहचान पत्र की छायाप्रति उपलब्ध करायी जाय।

8– सम्बन्धित पशु चिकित्साधिकारी द्वारा अपने क्षेत्र के अन्तर्गत आवंटित चारा बीज का पूर्ण विवरण संलग्न **प्रारूप–1** पर अपने चिकित्सालय पर रखा जायेगा।

9– सम्बन्धित **पशुधन प्रसार अधिकारियों** द्वारा योजना का सफल कियान्वयन कराया जायेगा। उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/पशु चिकित्साधिकारियों द्वारा समय–2 पर, लाभार्थियों द्वारा बोयी गयी चारा फसलों का निरीक्षण किया जायेगा तथा निरीक्षण आख्या मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। यदि किसी भी स्तर पर योजना के कियान्वयन में शिथिलता पायी जाती है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित पशुचित्साधिकारी/उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/मुख्य पशु चिकित्साधिकारी का होगा।

10– योजना के कार्यो की पूर्णता पर **प्रारूप–1, प्रारूप–2** एवं **प्रारूप–3** पर **लाभार्थियों का विवरण, उपयोगिता प्रमाण पत्र**, योजना का **Impact assessment (फीड बैक)** एवं सफलता की कहानियां चारा अनुभाग, पशुपालन निदेशालय को हार्ड एवं साफ्ट कापी में ई–मेल **fdoup522@gmail.com** पर उपलब्ध कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी का होगा।

11– योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि का उपभोग **वर्तमान रबी फसल–2020** में ही किया जाना है। योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर तत्काल उपलब्ध कराने का दायित्व सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी का होगा। अवशेष धनराशि के समर्पण की सूचना एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र दिनांक **31.12.2020** तक प्रत्येक दशा में ईमेल पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

12– आवंटित धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि आवंटित की गयी है। किसी अन्य मद में न तो इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका डायवर्जन ही किया जायेगा। योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि में से व्यय न होने वाली धनराशि का मानक मदवार समर्पण समय से निदेशालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

13– योजना को निर्बाध गति एवं सफल संचालन हेतु निदेशालय के अधिकारियों द्वारा समय–समय पर आकस्मिक निरीक्षण एवं सत्यापन किया जायेगा।

14– योजनान्तर्गत कृषि निवेशों का वितरण एवं फील्ड डे, यथासम्भव स्थानीय जन–प्रतिनिधियों (ग्राम प्रधान/ब्लाक प्रमुख/मा0 विधायक एवं सांसद आदि) की उपस्थिति में पारदर्शिता के साथ करायी जाय, जिसकी फोटोग्राफी भी अनिवार्य रूप से करायी जाये।

15– योजनान्तर्गत प्राप्त वित्तीय स्वीकृति गत वर्ष की पुनर्वैधीकृत धनराशि की है, **अतः आवंटित की गयी धनराशि का शत–प्रतिशत व्यय करके उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित समय–सीमा के अन्दर उपलब्ध कराया जाये।**

16– **विस्तृत कार्य योजना** एवं **गाईड–लाइन** विभागीय वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डा0 यू0पी0सिंह)
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास।

पत्रांकः /चारा/ ।।।एफ (417)/2020–21 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, पशुधन, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
2– कृषि निदेशक, कृषि भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
3– वित्त नियन्त्रक, मुख्यालय।
4– सम्बन्धित अपर निदेशक ग्रेड–2, पशुपालन विभाग।

112 AFDP(RKVY)- 2019-20

5– **राज्य विपणन प्रबन्धक,** इफको, 8–गोखले मार्ग,(ईमेल–smm_up@iffco.in)लखनऊ / मुख्य राज्य प्रबंधक, कृभको, टीसी–28वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर (ईमेल–kribhcosmoup@yahoo.com), लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि चयनित जनपदों के मुख्य पशु–चिकित्साधिकारियों द्वारा **परिशिष्ट–1** के अनुसार निर्धारित मात्रा में उर्वरक क्रय हेतु मांग पत्र प्रस्तुत करने पर उपलब्ध करायी गयी दरों पर उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित जनपद के प्रभारियों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

6– नोडल अधिकारी, आर0के0वी0वाई, मुख्यालय।

7– सम्बन्धित मण्डलीय नोडल अधिकारी, आर0के0वी0वाई0, कृषि विभाग।

8– इफको / कृभको प्रभारी, सम्बन्धित जनपद।

9– विभागीय बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(डा0 यू0पी0सिंह)
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास।

परिशिष्ट–1

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत संचालित अतिरिक्त चारा विकास कार्यकम की जनपदवार भौतिक लक्ष्यों का विवरण (रबी वर्ष 2020–21)

क्र0सं0	जनपद का नाम	निर्धारित क्षेत्रफल (हे0 में)	लाभार्थियों की अधिकतम संख्या	जई बीज की मात्रा (कु0 में)	यूरिया की मात्रा (कु0 में)	डी0ए0पी0 की मात्रा (कु0 मे)
1	2	3	4	5	6	7
1	मेरठ	110.0	1100	110.00	148.50	77.00
2	बागपत	95.0	950	95.00	128.25	66.50
3	बुलन्दशहर	95.0	950	95.00	128.25	66.50
4	गाजियाबाद	50.0	500	50.00	67.50	35.00
5	गौतमबुद्धनगर	40.0	400	40.00	54.00	28.00
6	हापुड़	50.0	500	50.00	67.50	35.00
7	मुजफ्फरनगर	75.0	750	75.00	101.25	52.50
8	सहारनपुर	110.0	1100	110.00	148.50	77.00
9	शामली	60.0	600	60.00	81.00	42.00
10	मुरादाबाद	80.0	800	80.00	108.00	56.00
11	अमरोहा	60.0	600	60.00	81.00	42.00
12	रामपुर	75.0	750	75.00	101.25	52.50
13	बिजनौर	75.0	750	75.00	101.25	52.50
14	सम्भल	60.0	600	60.00	81.00	42.00
15	आगरा	110.0	1100	110.00	148.50	77.00
16	फिरोजाबाद	50.0	500	50.00	67.50	35.00
17	मथुरा	60.0	600	60.00	81.00	42.00
18	मैनपुरी	60.0	600	60.00	81.00	42.00
19	अलीगढ	75.0	750	75.00	101.25	52.50
20	हाथरस	60.0	600	60.00	81.00	42.00
21	एटा	60.0	600	60.00	81.00	42.00
22	कासगंज	50.0	500	50.00	67.50	35.00
23	बरेली	75.0	750	75.00	101.25	52.50
24	बदायूँ	60.0	600	60.00	81.00	42.00
25	शाहजहांपुर	75.0	750	75.00	101.25	52.50
26	पीलीभीत	60.0	600	60.00	81.00	42.00
27	इटावा	60.0	600	60.00	81.00	42.00
28	औरैया	50.0	500	50.00	67.50	35.00
29	फर्रुखाबाद	60.0	600	60.00	81.00	42.00
30	कन्नौज	50.0	500	50.00	67.50	35.00
31	कानपुर नगर	40.0	400	40.00	54.00	28.00
32	कानपुर देहात	50.0	500	50.00	67.50	35.00
33	प्रयागराज	60.0	600	60.00	81.00	42.00
34	कौशाम्बी	40.0	400	40.00	54.00	28.00
35	फतेहपुर	50.0	500	50.00	67.50	35.00
36	प्रतापगढ	45.0	450	45.00	60.75	31.50
37	झाँसी	15.0	150	15.00	20.25	10.50
38	जालौन	20.0	200	20.00	27.00	14.00
39	ललितपुर	15.0	150	15.00	20.25	10.50
40	हमीरपुर	20.0	200	20.00	27.00	14.00

41	महोबा	15.0	150	15.00	20.25	10.50
43	बॉदा	20.0	200	20.00	27.00	14.00
43	चित्रकूट	15.0	150	15.00	20.25	10.50
44	गोरखपुर	65.0	650	65.00	87.75	45.50
45	महराजगंज	40.0	400	40.00	54.00	28.00
46	देवरिया	55.0	550	55.00	74.25	38.50
47	कुशीनगर	40.0	400	40.00	54.00	28.00
48	बस्ती	40.0	400	40.00	54.00	28.00
49	सन्तकबीरनगर	30.0	300	30.00	40.50	21.00
50	सिद्वार्थनगर	30.0	300	30.00	40.50	21.00
51	आजमगढ	60.0	600	60.00	81.00	42.00
52	मऊ	35.0	350	35.00	47.25	24.50
53	बलिया	38.0	380	38.00	51.30	26.60
54	वाराणसी	40.0	400	40.00	54.00	28.00
55	चन्दौली	30.0	300	30.00	40.50	21.00
56	जौनपुर	55.0	550	55.00	74.25	38.50
57	गाजीपुर	55.0	550	55.00	74.25	38.50
58	मिर्जापुर	25.0	250	25.00	33.75	17.50
59	भदोही	25.0	250	25.00	33.75	17.50
60	सोनभद्र	20.0	200	20.00	27.00	14.00
61	लखनऊ	25.0	250	25.00	33.75	17.50
62	उन्नाव	40.0	400	40.00	54.00	28.00
63	रायबरेली	55.0	550	55.00	74.25	38.50
64	सीतापुर	40.0	400	40.00	54.00	28.00
65	हरदोई	40.0	400	40.00	54.00	28.00
66	लखीमपुर	55.0	550	55.00	74.25	38.50
67	अयोध्या	55.0	550	55.00	74.25	38.50
68	अम्वेडकरनगर	50.0	500	50.00	67.50	35.00
69	सुल्तानपुर	45.0	450	45.00	60.75	31.50
70	बाराबंकी	50.0	500	50.00	67.50	35.00
71	अमेठी	35.0	350	35.00	47.25	24.50
72	बहराइच	45.0	450	45.00	60.75	31.50
73	श्रावस्ती	25.0	250	25.00	33.75	17.50
74	गोण्डा	45.0	450	45.00	60.75	31.50
75	बलरामपुर	25.0	250	25.00	33.75	17.50
	योग	**3768.0**	**37680**	**3768.00**	**5086.80**	**2637.60**

नोट

सामग्री का नाम	प्रयोग दर प्रति इकाई (0.1 हे0)
जई चारा बीज	10 किग्रा0
यूरिया	13.5 किग्रा0 (आधी मात्रा बेसल ड्रेसिंग, आधी टॉप ड्रेसिंग)
डी0ए0पी0	07 किग्रा0 बेसल ड्रेसिंग

निदेशक
प्रशासन एवं विकास

प्रारुप–1

उपयोगिता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना** की उपयोजना **"अतिरिक्त चारा विकास कार्यक्रम"** के अन्तर्गत रबी–2020 में रबी चारा उत्पादन मिनीकिट के निःशुल्क वितरण हेतु पशुपालन निदेशालय के पत्र सं0–...दिनांक......................द्वारा जनपद..............................को आवंटित धनराशि रू0................के सापेक्ष रू0........................दिये गये दिशा–निर्देशानुसार उपयोग कर लिया गया है। योजनान्तर्गत अवशेष धनराशि रू0........................को इस कार्यालय के पत्र सं0...दिनांक........................द्वारा समर्पित कर दिया गया है, तथा धनराशि जिस प्रयोजन के लिए आवंटित की गयी है, उसे उसी प्रयोजन में ही व्यय किया गया है। योजनान्तर्गत जनपद में कुल..................लाभार्थियों को लाभान्वित तथा ....हे0 क्षेत्रफल को आच्छादित किया गया है।

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी
जनपद..............................

प्रारूप–2

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उपयोजना ''अतिरिक्त चारा विकास कार्यक्रम'' के अन्तर्गत रबी–2020 में चयनित लाभार्थियों का विवरण

क0 सं0	लाभार्थी का नाम एवं पिता का नाम, मो0नं0 एवं आधार नं0	पूर्ण पता	लाभार्थी की श्रेणी	लघु/ सीमान्त / अन्य कृषक	चारा उत्पादन हेतु आच्छादित होने वाला क्षेत्रफल	निवेश (बीज एवं उर्वरक) वितरण की तिथि	खसरा सं0	जई चारा बीज मिनीकिट का विवरण					उर्वरक का नाम एवं उपयोग तिथि		
								बुवाई की तिथि	कटाई की तिथि		उत्पादन (कु0 में)		डी0ए0पी0 (बेसल ड्रेसिंग)	यूरिया	
									I	II	I	II		बेसल ड्रेसिंग	टाप ड्रेसिंग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी
जनपद.............................

प्रारूप–3

Impact Assesment (फीड बैक)

क0 सं0	योजना का नाम	ग्राम का नाम	वि0ख0 का नाम	योजना प्रारम्भ होने से पूर्व सम्बन्धित ग्राम में हरा चारा उत्पादन की स्थिति		योजना के दौरान सम्बन्धित ग्राम में हरा चारा उत्पादन की स्थिति		योजना पश्चात् सम्बन्धित ग्राम में हरा चारा उत्पादन की स्थिति (रबी फसल चक्र से एक वर्ष पश्चात् अर्थात् रबी–2021 में)		अभ्युक्ति
				कृषकों की सं0	उत्पादन कु0	कृषकों की सं0	उत्पादन कु0	कृषकों की सं0	उत्पादन कु0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी
जनपद.............................